कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व पंचायतीराज (प्राशि), राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/नि.प्रको/नि–2/982/टीजीटी–2016/ले–2/2016–17/ दिनांकः 23/09/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त जिला परिषद।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती –2016 (संशोधित) तथा शिक्षक भर्ती 2018 अंतर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक ले–2 अंग्रेजी के पद पर चयनित स्नातक एडिशनल अंग्रजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) ले–2 अंग्रेजी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबी सिविल याचिका संख्या 19113/2017 श्री धर्मेन्द्र कुमार भींचर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः–21.08.2018 में ले–2 अंग्रेजी के पद पर चयनित स्नातक एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ले–2 अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना गया है। माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरूद्व डीबी स्पेशल अपील याचिका संख्या 1143/2018 एवं 1144/2018 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की खण्ड पीठ द्वारा उक्त डीबी स्पेशल अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांकः–18.09.2018 से एकल पीठ के आदेश दिनांक 21.08.2018 को अप्रभावी किया गया है। उक्त न्यायिक आदेश के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रदत्त राय पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

अतः राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती –2016 (संशोधित) तथा शिक्षक भर्ती 2018 अंतर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक ले–2 अंग्रेजी के पद पर चयनित स्नातक एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान करने बाबत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें :–

1. शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) अंतर्गत उक्त योग्याताधारी जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग द्वारा विद्यालय आवंटित किये जा चुके हैं, उनसे संलग्न प्रारूप के अनुसार **50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्राप्त कर उनको तत्काल नियुक्तियां प्रदान की जाये।**
2. शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) अंतर्गत चयनित उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज सत्यापन किये जा चुके हैं, किंतु काउंसलिंग नहीं करवाई गई है उनकी तत्काल काउंसलिंग करवाकर बिंदु संख्या 1 में उल्लेखितानुसार शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्तियां प्रदान करें।
3. शिक्षक भर्ती 2018 ले–2 के अंतर्गत स्नातक एडिशनल अंग्रेजी योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के अन्यथा पात्र होने की स्थिति में इन्हे काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित कर बिंदु संख्या 1 में उल्लेखितानुसार शपथ पत्र के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जायें।
4. शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) एवं शिक्षक भर्ती 2018 अंतर्गत ले–2 अंग्रेजी के पद पर स्नातक एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश में निम्न शर्त अनिवार्य रूप से अंकित करें **"तृतीय श्रेणी अध्यापक ले–2 अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति हेतु आप द्वार प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आपको दी जा रही यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डीबी स्पेशल अपीलयाचिका संख्या 1143/2018 पवन स्वरूप गौड व अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार भींचर व अन्य तथा डीबी स्पेशल अपील याचिका संख्या 1144/18 भीम सिंह व अन्य बनाम धमेन्द्र कुमार भींचर में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी "।**

उक्तानुसार बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करते हुए शिक्षक भर्ती 2016 एवं शिक्षक भर्ती 2018 में ले–2 अंग्रेजी के पद पर नवचयनित एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्तियां प्रदान करें।

23/9

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा व पंचायती राज (प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को उनके पत्र दिनांक 22.09.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विधि, जयपुर/जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त को प्रति प्रेषित कर लेख है कि ले–2 अंग्रेजी के पद पर नव चयनित स्नातक एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को काउंसलिग प्रकिया में शामिल किया जाये।
6. कार्यालय प्रति।

www.rajteachers.com

23/9

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा व पंचायती राज (प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..जन्म तिथि..................... लिंग..........................शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मेरा चयन शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) / शिक्षक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय अन्तर्गत गैर अनुसुचित क्षैत्र/अनुसुचित क्षैत्र मे स्नातक एडीशनल अंग्रेजी योग्यता के आधार पर लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर मेरिट क्रमांक.................पर चयन वर्ग ....मे होकर जिला ....आवंटित किया गया है।
2. मैं उक्त शिक्षक भर्ती हेतु जारी विज्ञप्तियों में उल्लेखित प्रावधानों व एनसीटीई की अधिसूचनाओं में वर्णित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताऐं पूर्ण करता/करती हूँ।
3. मेरे द्वारा चयनोपरान्त दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया व काउन्सलिंग प्रक्रिया में भाग लिया गया है तथा मुझे ....विद्यालय आवंटित किया गया है।
4. मुझे पूर्णतया ज्ञात है है कि स्नातक एडिशनल अंग्रेजी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 19113/2017 धर्मेन्द्र कुमार भींचर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारीत आदेश दिनांक 21.8.2018 एडीशनल अंग्रेजी योग्यताधारियों को अपात्र किया गया है तथा एकल पीठ के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डीबी स्पेशल अपील संख्या 1143/2018 एवं 1144/2018 विचाराधीन है तथा उक्त डीबी अपील में पारीत अन्तरिम आदेश दिनांक 18.9.2018 के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान की जा रही है।
5. मैं उक्त डीबी अपील में पारीत होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन मुझे तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर दी जा रही नियुक्ति को सहमति प्रदान करता हूँ, यदि उक्त डीबी अपील के सम्बन्ध में कोई विपरित निर्णय होता है, तो वर्तमान में दी जा रही इस नियुक्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
मेरिट क्रमांक.................

स्वसत्यापन

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..जन्म तिथि.........................जाति................ निवासी..सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में अंकित सभी कथन/तथ्य मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य है, इसमें किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
मेरिट क्रमांक.................

www.rajteachers.com